

पेज संख्या 1/5
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 86/2017(प्राथमिक डिक्री)

अपीलांत

बाबूदान पुत्र जीवदान जी जाति चारण उम्र 60 वर्ष, निवासी गढवाडा, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पालदान पुत्र जीवदान जी जाति चारण निवासी गढवाडा तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

अपील संख्या : 87/2017(अंतिम डिक्री)

अपीलांत

बाबूदान पुत्र जीवदान जी जाति चारण उम्र 60 वर्ष, निवासी गढवाडा, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पालदान पुत्र जीवदान जी जाति चारण निवासी गढवाडा तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दौलत मकवाना, नौरतन चौहान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक : 26.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/15 बउनावान पालदान बनाम बाबुदान वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 2/5

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गढवाडा, पटवारी क्षेत्र गढवाडा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतपुर, तहसील रोहट की सरहद में खसरा नंबर 341 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन बेरा एवं खसरा नंबर 342 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही दायम कुल रकबा 32 बीघा आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 01 सगे भाई है। एवं वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट की सामलाती आराजी है। एवं वादग्रस्त आराजी का आधा-आधा हिस्सा दोनो का बराबर जमांबदी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का बिना जवाबदावा लिये, साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना जैर प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। धारा 5 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलान्ट पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 की जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट के कब्जे की भूमि पर अपीलान्ट आया एवं रेस्पोजेन्ट ने जाहिर किया कि अपीलान्ट सडक चिपती हुई जमीन पर कब्जा करेगा और उबड-खाबड जो जमीन पडी है वो अपीलान्ट की रहेगी। तब अपीलान्ट ने इसका कारण पूछा तो रेस्पोजेन्ट ने जाहिर किया कि न्यायालय से मेरे हक में बंटवाडे की डिक्री हो गई है। तब अपीलान्ट उसी रोज अपीलान्ट रोहट गया और एस. डी.एम कार्यालय मे पूछताछ कर आवेदन संख्या 155 तारीख 23.10.2017 को पेश किया जो नकल 28.10.2017 को दी गई। जिस जानकारी से अपीलान्ट की अपील अंदर म्याद पेश है। अत अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपीलान्ट की प्राथमिक अपील अंदर म्याद शुमार की जावे। एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गढवाडा, पटवारी क्षेत्र गढवाडा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतपुर, तहसील रोहट की सरहद में खसरा नंबर 341 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन बेरा एवं खसरा नंबर 342 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही दायम कुल रकबा 32 बीघा आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2015 को अपीलान्ट को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किये गया। जो कि अपीलान्ट की पत्नी गायत्री द्वारा तामिल प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन बंटवाडे के दावे के संबध में जानकारी प्राप्त हो गई थी। किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट जानबूझकर उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2015 को अपीलान्ट के विरुद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। एवं दिनांक 12.12.2015 को रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व रेस्पोजेन्ट संख्या 02 की बहस सुनी जाकर विधिसम्मत तरीके से प्राथमिक निर्णय व डिक्री का आदेश पारित किया है। इसके पश्चात उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं उक्त पालना रिपोर्ट में प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 पारित की। किन्तु उसके पश्चात वादी/रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 153 सी.पी.सी सपठित धारा 209 के तहत एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के विपरित एवं अधिकारिता विहीन हल्का पटवारी की मनमानी बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली की मनमानी बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किये बगैर पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की गई है। अतः संशोधित निर्णय व डिक्री पारित कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर तहसीलदार रोहट से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 12.11.2016 एवं 28.12.2016 को अपीलान्ट को पुनः सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किया गया। किन्तु अपीलान्ट उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात दिनांक 06.09.2017 को तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/17/969 दिनांक 04.09.17 प्राप्त हुई। एवं तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया किन्तु अपीलान्ट प्रकरण की जानकारी होते हुए जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की अपील अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 के 01 वर्ष 10 माह 22 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2015 को अपीलान्ट को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किया गया। जो कि अपीलान्ट की पत्नी गायत्री द्वारा तामिल प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन बंटवाडे के दावे के संबध में जानकारी प्राप्त हो गई थी। किन्तु अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है जो क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए जैर अपील प्राथमिक व अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज की जावे। वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये— (1) 2010 डी.एन.जे पेज 294 Oriental Aroma Chemical Industries Ltd. vs Gujarat Industiral Devlopment Corporation.

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गढवाडा, पटवारी क्षेत्र गढवाडा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतपुर, तहसील रोहट की सरहद में खसरा नंबर 341 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकीन बेरा एवं खसरा नंबर 342 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही दायम कुल रकबा 32

पेज संख्या 4/5

बीघा आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2015 को अपीलांट को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किया गया। जो कि अपीलांट की पत्नी गायत्री द्वारा तामिल प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन बंटवाडे के दावे के संबध में जानकारी प्राप्त हो गई थी। किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2015 को अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। एवं दिनांक 12.12.2015 को रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व रेस्पोजेन्ट संख्या 02 की बहस सुनी जाकर विधिसम्मत तरीके से प्राथमिक निर्णय व डिक्री का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963—धारा 5— सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 — धारा 96 — विलम्ब का शमन — अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब — विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद — 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 — विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब — आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही— विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 — अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब — प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" हस्तगत प्रकरण अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हाजा न्यायालय में प्रस्तुत अपील 01 वर्ष 10 माह 22 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई। जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2015 को अपीलांट को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी किया गया। जो कि अपीलांट की पत्नी गायत्री द्वारा तामिल प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी पूर्व में हो गई थी। किन्तु अपीलांट द्वारा इस संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ ही उक्त विलम्ब के संबध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 12.12.2015 की पालना में तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं उक्त पालना रिपोर्ट में प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 पारित की। किन्तु उसके पश्चात



राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 153 सी.पी.सी सपठित धारा 209 के तहत एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के विपरित एवं अधिकारिता विहीन हल्का पटवारी की मनमानी बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली की मनमानी बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किये बगैर पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की गई है। अतः संशोधित निर्णय व डिक्री पारित कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर तहसीलदार रोहट से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 12.11.2016 एवं 28.12.2016 को अपीलांट को पुनः सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किया गया। किन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात दिनांक 06.09.2017 को तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/17/969 दिनांक 04.09.17 प्राप्त हुई। एवं तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को बार-बार नोटिस जारी किये गये। किन्तु अपीलांट उसके बावजूद उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना कर विधिवत रूप से पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 86/2017 अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। एवं अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 87/2017 सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/15 बउनावान पालदान बनाम बाबुदान वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 86/2017 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशाराम खूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली